उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्रांक: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2010/4837-5313 दिनांक: 21 मई, 2010

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक,
उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से
सम्बद्ध एम0बी0ए0 तथा एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम
संचालित करने वाली समस्त संस्थायें ।

विषय- स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत संचालित एम0बी0ए0/एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता विस्तारण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको पुन: सूचित करना है कि सत्र 2010-11 हेतु पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता विस्तारित किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के पत्रांक उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2010/62894-63483, दिनांक 06 मार्च, 2010 के द्वारा यह अवगत कराया गया था कि सत्र 2010-11 की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण शुल्क दिनांक 25 मार्च, 2010 तक एवं रूपये दस हजार विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 31 मार्च, 2010 तक अनिवार्य रूप से जमा करवा दें। उक्त हेतु संस्थाओं को अनुस्मारक भी दिनांक 30.4.2010 को निर्गत किये जा चुके है किन्तु कतिपय संस्थाओं ने अभी तक निरीक्षण शुल्क जमा नही कराया है। इसी कम में यह भी सूचित है कि सत्र 2009-10 में अभातशिप द्वारा अतिरिक्त पाठ्यकम/क्षमता वृद्धि प्रदान किये जाने के उपरांत संस्थाओं को सत्र 2009-10 की काउंसलिंग में सम्मिलित कर लिया गया था किन्तु कतिपय संस्थाओं ने प्रश्नगत पाठ्यकम के सापेक्ष प्राभूति राशि/निरीक्षण शुल्क विश्वविद्यालय में जमा नही कराया है उन संस्थाओं के सत्र 2009-10 के सम्बद्धता आदेश भी अभी तक निर्गत नही किये गये है तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनेकों बार अनुस्मारक भेजने के बाद भी अभी तक संस्थाओं से प्राभूति राशि/निरीक्षण शुल्क अप्राप्त है। अत: अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान में संचालित एम0बी0ए0/एम0सी0ए0 पाठ्यकम की सम्बद्धता सत्र 2010-11 में विस्तारित किये जाने हेतु निरीक्षण शुल्क विलम्ब शुल्क सहित तथा प्राभूति राशि (यदि जमा न की हो) अनिवार्य रूप से दिनांक 30 मई, 2010 तक जमा कराने का कष्ट करें यदि संस्था द्वारा सम्बद्धता विस्तारण हेतु दिनांक 30 मई, 2010 तक निरीक्षण शुल्क/प्राभूति राशि की एफ0डी0आर0 जमा नही कराई जाती है तो यह मानते हुए कि आप प्रश्नगत पाठ्यकम संचालित नही करना चाहते है उसे सत्र 2010-11 की सम्बद्धता से पृथक करते हुए काउंसलिंग में सम्मिलित नही किया जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान का स्वयं का होगा। अत: यदि आपकी संस्था से निरीक्षण शुल्क/प्राभूति राशि को जमा नही किया गया है तो तत्काल उसे जमा कराना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185